| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 6-3-26 | पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उप.<br>वास्ते बहस समय चाहा गया अवकाश होने<br>जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक<br>17-4-26 को पेश हो। | |
| 17-4-26 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक परिषद द्वारा<br>आज कार्य स्थगित रखा वास्ते बहस पत्रावली<br>दिनांक 24-4-26 को पेश हो। | |
| 24-4-26 | पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित<br>वास्ते बहस समय चाहा गया वास्ते बहस<br>पत्रावली 8-5-26 को पेश हो। | |
| 8-5-26 | पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित<br>उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र<br>सुनी गई बहस पर मनन किया गया<br>एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया<br>प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत 212<br>आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है।<br>विस्तृत निर्णय पृथक से आदेशिका<br>पर लिखा गया। पत्रावली फैसल<br>शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

| तारीख हुक्म | |
|---|---|
| | प्रकरण सं. 72/2021 |

उनवान

आत्माराम बनाम डीगर वगैरह

निर्णय

8-5-26 संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. में पेश कर कथन किया कि खाता सं. 6 ख.सं. 128 रकबा 1.34 हैक्टर तथा खाता सं. 103 ख.सं. 129 रकबा 1.61 हैक्टर ख.सं. 227 रकबा 0.15 हैक्टर वाके ग्राम शेमापुरा तहसील इन्द्रगढ़ स्थित कृषि भूमि के प्रार्थीगण हिस्सा 1/2 1/2 के रिकॉर्ड खातेदार प्रार्थीगण है। प्रार्थीगण ने फसल की सुरक्षा बाबत अपनी खातेदारी कृषि भूमि की तारबन्दी कर रखी है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख.सं. 128 रकबा 1.34 है. के बीचो बीच अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 जबरन ताकत के बल पर तार हटाकर ट्रैक्टर ट्राली निकालकर ले जाते है तथा ताकत के बल पर रास्ता बनाना चाहते है जिससे प्रार्थीगण की खड़ी फसल को नुकसान होता है तथा मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा रहते है। जबकि अप्रार्थीगण का रास्ता पड़ौसी खातेदार की कृषि भूमि ख.सं. 127/1 127/2 व ख.सं. 124 की मध्य मेर से कई वर्षो से आते जाते रहे है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 20-9-2021 को जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ट्रैक्टर चलाकर रास्ता बनाना शुरू कर दिया प्रार्थीगण के पिता ने गाव की मदद से ट्रैक्टर को रूकवाया अप्रार्थीगण 1 व 2 ताकत के बल पर रास्ता बनाने पर आमादा है जो कि गैर कानूनी है और निवेदन किया अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थीगण अपने मंसूबो में कामयाब हो जायेंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

हमारे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादित आराजी ख.सं. 128 रकबा 1.34 हैक्टर वाके ग्राम शेमापुरा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारी... अहकाम जो इ... हुक्म की तामी... में जारी हुए |
|---|---|---|
| | मुताबिक जमाबन्दी मुताबिक रिकार्ड के प्रार्थीगण रिकॉर्ड खातेदार है अप्रार्थीगण को रिकॉर्ड खातेदार के कब्जे काश्त भूमि मे दखल दिया जाना कानून सम्मत नही है. न ही बिना कानूनी कार्यवाही के रास्ता निकलने का कोई अधिकार प्राप्त है। | |
| | उपरोक्त तथ्यो के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में अपूरणीय क्षति का पाया जाना है वाद बाहुल्यता को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को ता फैसला मूलवाद तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते है। | |
| | अत: अप्रार्थीगण को ता फैसला मूल वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह कृषि भूमि ख.सं. 128 रकबा 1.34 हैक्टर वाके ग्राम खेकसपुरा स्थित कृषि भूमि मे किसी प्रकार रास्ता नही बनावे न ही मेरो से हुई सीमाबन्दी से छेड़छाड करे और न ही अनावश्यक हस्तक्षेप करे न तो स्वयं करे न अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर सलंग्न मूलवाद रहे। | |
| | (हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>[illegible] (बून्दी) | |